

Where a railway servant is entitled free of charge, to medical attendance and treatment in a hospital, any amount paid by him on account of such attendance and treatment shall, on production of a certificate in writing by the authorised medical attendant in his behalf, be reimbursed to him.

Where, in an emergency, a railway servant or his family go for treatment (including confinement) to a Government hospital without prior consultation with the authorised medical attendant, reimbursement of medical expenses to the extent otherwise admissible will be permissible if after a careful examination of the circumstances of the case, the competent medical authority accords an ex-post facto approval.

To meet the requirements of the railway servants employed on the Branch Lines and other way-side stations generally a separate 'Line Doctor' is posted in each of the hospitals at Divisional and Sub-Divisional level and also in some important health units. Line Doctors are provided solely to attend the railway servants employed on the Branch Lines and other way-side stations.

The above medical rules, by and large, cover the recommendations of Third Pay Commission, as contained in para 21 of Chapter 63 of their report, as such no further change was considered desirable.

(c) Does not arise in view of (b) above.

(d) as explained in (b) above.

Complementary Passes to M.Ps.

9424. SHRI SUBHASH CHANDER BOSE ALLURI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

Whether any complementary passes were issued for air conditioned classes to Members of Parliament during the years 1977-78 and 1978-79?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHR SHEO NARAIN): No.

मकरोनिया करेली लाइन

9425. श्री नर्मदा प्रसाद राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या मध्य प्रदेश में मकरोनिया स्टेशन से करेली स्टेशन तक नई रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) यदि हा, तो क्या इन बारे में सर्वेक्षण कार्य चालू वर्ष के दौरान प्रारम्भ किया जायेगा, और

(घ) यदि हा, तो उक्त सर्वेक्षण कार्य के कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :

(क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) मकरानिया से करेली तक नयी लाइन की लम्बाई लगभग 120 किलोमीटर होगी और इस पर मॉटे तोर पर 20 करोड़ रुपये की लागत आयेशी । नयी लाइन की निर्माण के लिए विनीय समझौते की प्राथमिक कठिनाई है । इस समय जो धन उपलब्ध है वह मुम्किन से चालू योजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है । इसलिए जिन रेलवे लाइन का सुझाव दिया गया है उसके प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है ।

पश्चिम रेलवे के स्टेशनों के लिए बैगनों का घाबटन

9426. श्री मोती साईं शारंग चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेलवे के द्वारा, मोरक और रामगंज मण्डी स्टेशनों के लिए एक वर्ष के लिए कितने रेल बैगनों का घाबटन किया गया और द्वारा स्टेशन के लिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहां से 'रफ स्टोन' बाहर भेजा जाता है, कम बैगन घाबटित करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या 'रफ स्टोन' द्वारा स्टेशन से लाया जाता है और क्या निम्न श्रेणी वाले लोग अधिकतम इसका इस्तेमाल करते हैं और रफ स्टोन प्रोसेस करने वाले कारखाने भी निम्न श्रेणी वाले लोगों के स्वास्थ्य में हैं और इसका कारोबार को बे ध्यान ही करते हैं परन्तु पर्याप्त बैगना न बैगन घाबटित न किये जाने के कारण उ